XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 978–दो / 14

जिला – छिंदवाड़ा

...न तथा ...ांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.8.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया है कि उनके पूर्वाधिकारी द्वारा अनावेदक क्र. 2 फोत है जिसे विलोपित करने हेतु उनके पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 24.3.11 को आदेश दिए गए हैं तथा अनावेदक क्र. 1 स व उसके विधिक वारिसान से कोई विधिक अनुतोष नहीं चाहा गया है । ऐसी स्थिति में जो आदेश है वह अपनेस्थान पर सही है और उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राहय की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र.,ग्वालियर	

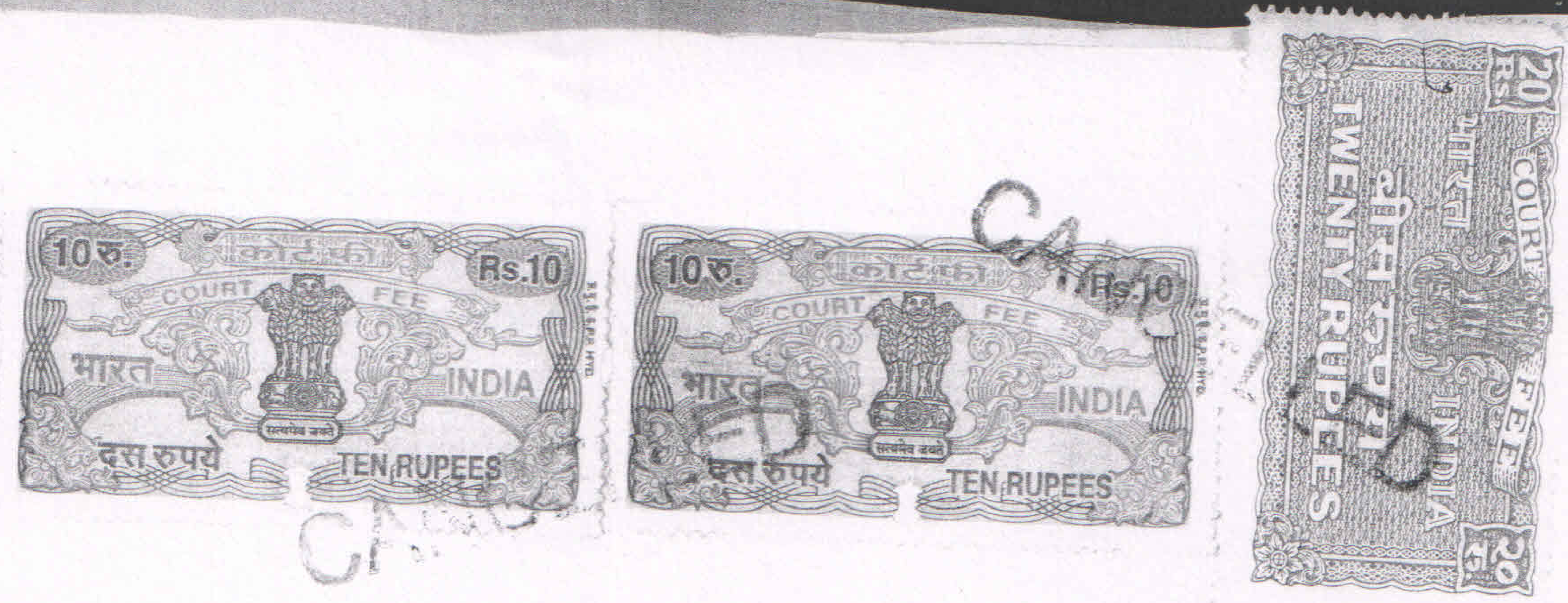

समक्ष न्यायालय – राजस्व मंडल ग्वालियर, जबलपुर कैम्प

R-978-II/14

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
25 FEB 2014

श्रीमती ललिता सूर्यवंशी पति स्व.कृष्णा सूर्यवंशी, उम्र 43 वर्ष
निवासी– बिन्द्रा कालोनी, छिंदवाड़ा
तह0 व जिला छिंदवाड़ा

...... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

श्रीमती चयनिक जोशी पति सुशील जोशी, उम्र 53 वर्ष
निवासी–शनिचरा बाजार छिंदवाड़ा, तह0 व जिला छिंदवाड़ा .... उत्तरवादी